भारत सरकार

परिणामी बजट

2009 - 2010

जल संसाधन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	पहलू	पृष्ठ
	कार्यकारी सार	1-3
I	मंत्रालय/विभाग, संगठनात्मक ढांचे के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा	4-9
II	परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण, वार्षिक योजना 2009-2010 और परिणाम 2009-2010	10-18
III	सुधारात्मक उपाय और नीति उपक्रम	19
IV	पिछले निष्पादन की समीक्षा	20
V	समग्र वित्तीय समीक्षा	21-29
5.2	वित्तीय वर्ष 2007-08, दिसम्बर, 07 तक, में व्यय का रूझान	21
	बजट एक झलक	21-28
	उपयोगिता प्रमाणपत्र	29
VI	सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	30-38
	सांविधिक निकाय:	
	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	30-31
	रावी और व्यास जल अधिकरण	31
	कावेरी जल विवाद अधिकरण	31
	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	32
	स्वायत्त निकाय (सोसाइटीज):	
	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	32-33
	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	33-35

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित	35-37
	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	38

अनुलग्नक

I	2007-08 के दौरान कार्य निष्पादन	39-44
II	2008-09 के दौरान कार्य निष्पादन	45-53
III	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संबंध में सूचना	54-55
IV	XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	56-57

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणामी बजट 2009-2010 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2007-08 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों, वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं:-

अध्याय	शामिल पहलू
I	यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय जल को एक राष्ट्रीय संसाधन के समग्र विकास,संरक्षण और प्रबंधन, इस संबंध में विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। सचिव और एक अपर सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय का संगठन प्रशासन स्कन्ध,समन्वय स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और नौ तकनीकी स्कन्धों के अंतर्गत किया जाता है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय, सात सांविधिक निकाय, दो स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । XIवीं पंचवर्षीय योजना की 58 स्कीमों की तुलना में ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अधीन इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित/मानीटर की जा रही गतिविधियों को 15 केन्द्रीय क्षेत्र, एक केन्द्र प्रायोजित और 04 राज्य क्षेत्र स्कीमों (केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमें 2008-09 से राज्य क्षेत्र में डाल दी गई है) में मिला दिया गया है ।
II	इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन 2009-2010 के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है । इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय बजट 2009-2010 और परिणामी बजट 2009-2010 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है। इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (अंतरमध्यस्थ, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।
III	इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया बेहद विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और निर्णायक परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।
IV	इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, 2007-08 के दौरान तथा 2008-09 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।
V	इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की

समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में बकाया उपयोगी प्रमाणपत्रों और राज्यों और क्रियान्वयन अभिकरणों के पास खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिकि/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

2. मंत्रालय ने 1987 में जल नीति अपनाई और इसे बाद में संशोधित कर दिया गया । संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को इसकी 5वीं बैठक में अपनाई गई ।

3. जल संसाधन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्द्रों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियां, अभिज्ञात परियोजनाओं, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं और बाढ़ पूर्वानुमान की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है । आयोग मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरी के एक भाग के रूप में सी डब्ल्यू सी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।

4. जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में भू जल प्रबंधन अध्ययन, भूजल प्रबोधन, भूभौतिकी अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन, दूर संवेदी अध्ययन, जल गुणवत्ता विश्लेषण, अल्पकालिक जल आपूर्ति, अन्वेषण, भूजल विकास का विनियमन, जन जागरूकता और प्राशिक्षण कार्यक्रम शामिल है । भूजल प्रबंधन और विनियमन की स्कीम के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्य उपलब्धियों में भूजल प्रबंधन अध्ययन के अंतर्गत 1.57 लाख वर्ग किमी. का विस्तार, भूभौतिकी एवं दूरसंवेदी अध्ययनों की सहायता से वैज्ञानिक भू जल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत 761 कुओं की खुदाई, 15640 भूजल प्रेक्षण कुओं में भूजल का प्रबोधन, रक्षा और अन्य विभागों के लिए 116 जल आपूर्ति अन्वेषण तथा विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना शामिल है। 7 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, और मध्य प्रदेश में 1798.71 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें से सब्सिडी घटक 1499.27 करोड़ रूपए है । इस स्कीम का मुख्य

उद्देश्य 7 राज्यों में अतिदोहित/गंभीर/अर्द्धगंभीर क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का सवर्द्धन करना है ।

5. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ आवधिक व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में वित्तीय प्रगति की मानीटरी की जाती है ।

6. मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आदि जैसे संगठन अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं ।

7. सूचना, शिक्षा तथा संचार स्कीम के अंतर्गत, समूह तौर पर जल संसाधनों के अधिकतम विकास तथा प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्ष्य, समूहों के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से मंत्रालय और इसके संगठनों में जन जागरूकता कार्यकलाप किए जाते हैं । अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में मीडिया समिति द्वारा जल से संबंधित मामलों जिसमें इसके संरक्षण और न्यायोचित उपयोग शामिल हो, के संबंध में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मीडिया योजना तैयार और कार्यान्वित की जाती है । समिति, कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा समय पर सुधारात्मक उपाय और सुधार संबंधी कार्रवाई करने के लिए समय समय पर मीडिया योजना की समीक्षा करती है ।

8. मंत्रालय तथा इसके संबंधित संगठनों द्वारा जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है । वित्तीय प्रगति की निगरानी मासिक तथा वास्तविक प्रगति की निगरानी तिमाही की जाती है । इस संबंध में, प्रगति के बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिए संबंधित संगठनों को संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्धि की तुलना में वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन करने की सलाह दी गई है ।

अध्याय -1

मंत्रालय/विभाग, संगठनात्मक ढांचे के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन मंत्रालय, जल के विभिन्न उपयोग में समन्वय स्थापित करने के साथ ही समग्र राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के पूर्ण विकास, संरक्षण और प्रबंधन करने तथा इससे संबंधित संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.2 **इस मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य नीचे दिए गए अनुसार हैं;**

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचनाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा उपयोग ; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजन के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय एवं जलाशय अवसादन का प्रबंधन; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधी; जल जमाव और समुद्र कटावरोधी समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान ।
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून ।
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थाई सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाह्य सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.3 मंत्रालय की उपरोक्त नीतियां और कार्यक्रम मंत्रालय के निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा पूरे किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाए (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.4 यह मंत्रालय 2008-09 के दौरान 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 5 राज्य क्षेत्र स्कीमो का कार्यान्वयन/निगरानी कर रहा है । नीचे केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया गया है :

1.4.1 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आँकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं। मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों की बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

1.4.2 जल विज्ञान II परियोजना : इस परियोजना का उद्देश्य 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से जुड़े कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एचआईएस) के स्थायी और प्रभावी उपयोग का विस्तार करना और बढ़ावा देना है । यह परियोजना एचआईएस को जल विज्ञान -I परियोजना के तहत शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा और पांडिचेरी के चार नए राज्य अभिकरणों तक विस्तृत करेगी । मौजूदा राज्यों को इस परियोजना के तहत शामिल करने से उनको जल विज्ञान परियोजना फेज - I के समान जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एचआईएस) के विकास से जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन में एचआईएस के उपयोग की ओर ले जाने में सहायता मिलेगी । यह परियोजना राज्य/केन्द्र स्तर पर प्रभावी जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन के लिए एचआईएस के उपयोग में कार्यान्वयन अभिकरणों की क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी । इससे एचआईएस के उपयोग; सभी संबंधित संगठनों द्वारा एचआईएस आंकड़ों की स्थापना और उनमें वृद्धि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न होगी और पहुँच के बाहर की सेवाएं प्राप्त होगी ।

1.4.3 जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण : इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण, जल के अंतरबेसिन हस्तांतरण संबंधी स्कीमों तथा उपरोक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, अनुपूरक अथवा प्रेरक माने जाने वाले अन्य अध्ययनों तथा क्रियाकलापों को करने सहित विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने से संबंधित क्रियाकलापों को करना है।

1.4.4 जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं - (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं विशेषकर अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं और उपस्करों का सृजन

करना/ उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना ।

1.4.5 **राष्ट्रीय जल अकादमी** : इस स्कीम में ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कि जल संसाधन विकास विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन व्यवसायविदों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ।

1.4.6 **सूचना, शिक्षा और संचार** : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं - (i) किफायती जल उपायों को अपनाये जाने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, (ii) लोगों के बीच में उपलब्ध जल को उचित और मितव्ययी ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना, (iii) जल की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी उपायों को अपनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना , (iv) जल संतुलन बनाये रखने और लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पारंपरिक जल निकायों के महत्व पर जोर देना, (v) जल के संरक्षण को एक जन अभियान बनाना तथा लोगों को जल बचाने संबंधी विभिन्न उपायों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना ।

1.4.7 **नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण :** इस स्कीम का उद्देश्य जल संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि बेसिन और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प की पहचान करने के दृष्टिकोण से आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है।

1.4.8 **अवसंरचना विकास :** इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (ii) सीजीडब्ल्यूबी की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण ।

1.4.9 **बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना :** इस स्कीम में बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवश्यक अध्ययन शुरू करने की योजना है ।

1.4.10 **भूजल प्रबंधन और विनियमन** : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

- क्षेत्र विशेष आधारित भूजल विकास और प्रबंधन योजना को डिजाइन करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन करना;
- भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूजल अन्वेषण करना;
- देश के भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से आकलन करना और प्रविधि को संशोधित/अद्यतन करना;

- भूजल प्रेक्षण कुओं के माध्यम से भूजल स्तरों और गुणवत्ता की निगरानी करना;
- क्षेत्र विशिष्ट आधारित प्रविधियों को विकसित/अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन करना;
- भूजल संबंधी आंकड़ों के भंडारण, प्रक्रमण और प्रचार-प्रसार के लिए आंकड़ा भंडारण और सूचना-प्रणाली स्थापित/अद्यतन करना;
- राज्य सरकारों की समन्वय से भूजल विकास को विनियमित और नियंत्रित करना;
- क्षमता वाले जलभृतों का पता लगाने और भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण इत्यादि संबंधी उपयुक्त स्थलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सतही और उप-सतही विधियों के माध्यम से भूभौतिकी अध्ययन करना;
- भूजल अध्ययनों के लिए बेंच मार्क प्रविधियों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना;
- जागरूकता और जल गुणवत्ता संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना;
- भूजल की बचत और बंटवारे के पहलूओं पर वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ संपर्क विकसित करना;
- कृषि, औद्योगिक और संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के वास्ते भूजल गुणवत्ता का आकलन करना;
- योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्टें, नक्शे, भूजल एटलस और विवरणिकाएं तैयार करना और
- अत्याधुनिक उपस्करों की अधिप्राप्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करना जिससे उपरोक्त प्रयोजनों का प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

1.4.11 **राजीव गांधी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान** : इस स्कीम में भूजल संसाधनों की आयोजना, अन्वेषण, विकास, प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में भूजल कार्मिकों के ज्ञान और कौशल का संगठन और उन्नयन करने के लिए आधार उपलब्ध कराने संबंधी क्रियाकलाप शामिल होंगे ।

1.4.12 **पगलादिया बांध परियोजना** : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असम के नलबारी क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पगलादिया नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने तथा वार्षिक रूप से (औसतन) 54,160 हेक्टेयर के सकल कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना है । यह परियोजना आकस्मिक लाभ के रूप में नहर से छोड़े जाने वाले जल से 3 मेगावाट जल विद्युत भी उत्पन्न करेगी ।

1.4.13 **बाढ़ पूर्वानुमान** : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार लाना तथा पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है ।

1.4.14 **सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन क्रियाकलाप** : अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में शामिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नदी प्रबंधन क्रियाकलापों को क्रमबद्ध ढंग से

प्राथमिकता के आधार पर नदी प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप शुरू करना आवश्यक है जिसमें जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, अन्वेषण और जहां कहीं आवश्यक हो वहां पड़ोसी राज्यों के सहयोग से आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाय शामिल हैं ।

1.4.15 **फरक्का बैराज परियोजना** : फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य "बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबंधित संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव" है ।

अध्याय - II

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना 2009-10

(करोड़ रूपये)

क्र. सं	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तियां
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i)	(ii)	(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र संसाधन आकलन के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े संग्रहीत करना और इनकी विशेषताओं के लिए इनका विश्लेषण करना (ii) अवसंरचना की स्थापना करना तथा जल संसाधन सूचना प्रणाली शुरू करना (iii) लघु सिंचाई गणना के माध्यम से लघु सिंचाई के बारे में सूचना का संग्रह ।	70.82	70.00	0.00	(i) 878 स्थल पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण चल रहे हैं; (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास ; (iii) लघु सिंचाई गणना के लिए जारी कार्यकलाप	(क) जलवैज्ञानिक आकड़ों का संग्रह एक सतत कार्यकलाप है। (ख) चतुर्थ लघु सिंचाई गणना को पूरा किया जाना (ग) दिसम्बर, 2010 तक डब्ल्यू आर आई एस का विकास ।	वर्ष भर कार्यकलाप को जारी रखा जाना है ।	
2	जल विज्ञान परियोजना फेज-।।	13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और		38.10	0.00	जलविज्ञान परियोजना फेज-।। के स्थान पर 3 मुख्य परामर्शियों की सहायता से परियोजना घटकों का कार्यान्वयन अर्थात संस्थागत सुदृढ़ीकरण, ऊर्ध्वाधर विस्तार(डीएसएस-आयोजना),डीएसएस-रीयल	(क) कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच विनिमय के लिए उन्नत आंकड़ा सुलभता (ख) जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन के लिए उन्नत उपस्कर (ग) बाढ़ और सूखे के प्रबंधन के लिए उन्नत	केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात जल संसाधन मंत्रालय, बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी,सीजी-डब्ल्यूबी तथा एनआईएच के माध्यम से परियोजना कार्यान्वित की जायेगी ।	

		प्रोत्साहित करना ।				टाइम तथा 31 प्रयोजन मूलक अध्ययन) तथा क्षैतिज विस्तार	आंकड़ा प्रणाली तथा उपस्कर		
3	भूजल प्रबंधन और विनियमन	i) भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एकीकृत भूजल प्रबंधन अध्ययन ii) वैज्ञानिक साधनों अर्थात दूरसंवेदी और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूभौतिकीय सर्वेक्षण iii) भूजल निगरानी केन्द्रों से भूजल स्तरों की निगरानी iv) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के लिए स्रोत अन्वेषण के वास्ते अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण v) योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्ट, नक्शे तैयार किया जाना vi) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन (vii) सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल विकास का विनियमन	95.00	70.00	0.00	i) भूजल प्रबंधन अध्ययन- 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर ii) भूजल अन्वेषण- 800 कुएं iii) वर्ष में 4 बार 1500 प्रेक्षण कुओं के भूजल स्तरों की निगरानी iv) अल्पकालीन जल आपूर्ति अन्वेषण- आवश्यकता आधारित (~300) v) भूभौतिकी सर्वेक्षण: वीईएस- 2200 लाइन किमी-10 वेल लागिंग- आवश्यकता आधारित vi) कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन (नये-15) vii) सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल का विनियमन जारी	भूजल से संबंधित मुद्दों के वास्तविक आकलन तथा बेहतर प्रबंधन में अतिरिक्त आंकड़ों की उपलब्धता तथा उनके विश्लेषण में मदद मिलेगी ।	केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे तथा वर्षभर चलते रहेंगे।	

4	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	सर्वेक्षण, क्षेत्र अवेषण कराना जल के अतबेसिन हस्तांतरण की स्कीमों सहित विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराना और उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, पूरक अथवा प्रेरक समझे जाने वाले क्रियाकलापों तथा अन्य अध्ययन कर-ाना।	7.60	42.00	0.00	(क) एनडब्ल्यूडीए द्वारा दो नदी संपर्क परियोजनाओं की डीपीआर की तैयारी (i) पार-तापी-नर्मदा एवं (ii) दमनगंगा-पिंजाल (ख) रंजीत जल विद्युत परियोजना चरण-।, कलेज खोल तथा सुनताले परियोजना की डीपीआर। मानस तीस्ता संपर्क नहर की व्यवहार्यता रिपोर्ट (ग) अरूणाचल प्रदेश में 14 माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रूकनी और सोनाई सिंचाई स्कीमों का सर्वेक्षण एवं क्षेत्र अन्वेषण तथा व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) की तैयारी (घ) किरथई जल विद्युत परियोजना चरण-।। (जम्मू एवं कश्मीर) और सेली और रावोली परियोजनाओं (हिमाचल प्रदेश) की डीपीआर तैयार करना	जल संसाधन विकास की सर्वाधिक उपयुक्त योजना की पहचान।	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यकलाप/वर्ष भर कार्यकलापों को जारी रखा जाना है।	
5	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। ये कार्यकलाप अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, मृदा और सामग्री विज्ञान, अर्थात एनआईएच,	43.40	52.00	0.00	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण तथा अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में मदद मिलेगी। अनुसंधान परिणाम सामान्यत: तकनीकी रिपोर्ट एवं अनुसंधान कागजातों के रूप में होते हैं जिसमें आयोजना एवं डिजाईन की उन्नत तकनीकों की सिफारिशें होती हैं।	(क) जल संसाधन प्रणाली की दक्षता में सुधार (ख) जल संसाधन परियोजनाओं में जोखिम/ खतरे में कमी लाना (ग) जल संसाधन परियोजना की आर्थिक डिजाइन (घ) नई/उन्नत	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों अर्थात केन्द्रीय जल आयोग, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस तथा एनआईएच द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है ।	

		सीडब्ल्यूपीआरएसऔर सीएसएमआरएस तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के परिणाम से सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में जोखिम/नुकसान में कमी, परियोजना की आर्थिक डिजाइन तथा नई/उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास होगा।				मात्रात्मक सुपुर्दगियां निम्न हैं: (क) अनुसंधान रिपोर्टें = 300(ख) अनुसंधान कागजात = 250(ग) प्रशिक्षण कार्यशालाएं = 26	प्रौद्योगिकी का विकास		
6	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना को, विकास और प्रबंधन में सेवारत इंजीनियरों / शामिल इंजीनियरों को प्रशिक्षण	-	2.60	0.00	42 प्रशिक्षण कार्यक्रम	केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को नवीनतम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें जल विकास परियोजनाओं की बेहतर आयोजना, डिजाइन व प्रबंधन में सहायता मिल सके ।	वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया ।	
7	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं पर प्रशिक्षण	0.00	2.00	0.00	18 प्रशिक्षण कार्यक्रम	केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को नवीनतम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें जल विकास परियोजनाओं की बेहतर आयोजना, डिजाइन व प्रबंधन में सहायता मिल सके ।	वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया ।	
8	सूचना शिक्षा और संचार	जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जानकारी सृजित करना।	-	12.00	0.00	(i) इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (ii) कार्यशालाओं/ सेमिनारों में गठन और भागीदारी (iii)	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन पर जोर देते हुए जल संसाधन क्षेत्र के बारे में प्रचार	पूरे वर्ष कार्यकलाप चलाये जाएंगे	

						प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार (iv) पारंपरिक मीडिया के माध्यम से अभियान (v) मुद्रित सामग्री की प्रिंटिंग एवं वितरण (vi) जन जागरूकता गतिविधियों के लिए एनजीओ और अन्य संगठनों को सहायता (vii) विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना (viii)) लोगों के संगठनों को शक्ति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना (ix) मास मीडिया परिवहन वाहन के माध्यम से विज्ञापन (x) प्रसिद्ध स्थानों पर भित्ति चित्र एवं प्रदर्शनी लगाना (xi) प्रसिद्ध स्थानों में प्रदर्शनी लगाना (xii) डकुमेंटरी, छोटी फिल्में, आडियो/वीडियों स्पाट बनाना ।	एवं जागरूकता		
9	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और अनुषंगी विद्युत उत्पादन	-	0.50	0.00	जीरत सर्वेक्षण पूरा नहीं किए जाने के कारण परियोजना अभी प्रारंभ की जानी है । निर्माण पूर्व गतिविधि जारी		परियोजना पर कार्य अभी शुरू करना शेष है । निर्माण पूर्व गतिविधियां जारी	
10	फरक्का बैराज परियोजना	पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव और मुख्य बैराज के किनारे नदी को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं से लगे तटबंधों की सुरक्षा	39.45	70.00	0.00	(i) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव एक जारी कार्यकलाप है। (ii) गंगा-पद्मा नदी के साथ-साथ और 120 कि.मी. के इसके विस्तारित कार्यक्षेत्र में भूमि, फसल,	फरक्का एवं जांगीपुर बैराजों/गेटों, संबंधित संरचनाओं का प्रचालन एवं रखरखव फरक्का बैराज परियोजना को सौंपा गया निर्माणाधीन कार्यकलाप है । फरक्का बैराज परियोजना के विस्तारित कार्यक्षेत्र में कटावरोधी	पूरे वर्ष गतिविधि जारी रखना	

		के लिए कटावरोधी कार्य				बागीचों, सार्वजनिक भवनों आदि को सुरक्षा भवनों आदि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटाव नियंत्रण	उपायों से नये तटों के बीच स्थित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा होगी जो पश्चिम-पूर्वी बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में अधिक बाढ़ आने के कारण प्रत्येक वर्ष बरबाद हो जाती है।		
11	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(i) सीडब्ल्यूसी में इन्स्ट्रूमेंटशन संग्रहालय (ii) 4 बेसिनों और 6 क्षेत्रों के पीएमपी एटलसों की तैयारी और डिजीटाइजेशन (iii) 10 मौजूदा परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक अध्ययनों के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढांचे का विकास (iv) कुछ मौजूदा परियोजनाओं का जोखिम विश्लेषण और अन्य विशेष अध्ययन (v) बांध सुरक्षा कार्यकलापों पर विशेष प्रयोजन पैकजों का प्रशिक्षण और विकास	-	1.00	0.00	1. बांध सुरक्षा के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना 2. सामान्य पीएमपी एटलसों की तैयारी और पीएमपी एटलसों को अद्यतन करना तथा पीएमपी एटलसों का डिजीटाइजेशन 3. इन्स्ट्रमेंटेशन संग्रहालय के लिए माडल/जुड़ी हुई वस्तु	डिजाइन टूल्स की उपलब्धता और बांध सुरक्षा पहलुओं की तकनीकी सुविज्ञता में सुधार लाने में आउटपुट का योगदान रहेगा ।	1. बांध सुरक्षा के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना-3/2010 2. सामान्य पीएमपी एटलस की तैयारी और पीएमपी एटलस को अद्यतन करना एवं पीएमपी एटलसों का डिजीटाइजेशन-3/2010 इंस्ट्रमेंटेशन संग्रहालय के लिए माडल/ जुड़ी हुई वस्तु	
12	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण	बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए एकीकृत रूप में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नदी बेसिन संगठनों का सृजन। संगठन के माध्यम से बेसिन राज्यों का साझा मंच प्रदान किया जाएगा और इससे उनके	-	0.50	0.00	क्षमतावान बेसिनों के चयन की प्रक्रिया शुरू करना जहां पर सह बेसिन राज्यों के परामर्श से आरबीओएस का सृजन किया जा सकता है। 2. नदी बेसिन अभिज्ञात किए गए हैं और प्रस्ताव सह बेसिन राज्यों को उनके विचारार्थ भेज दिए गए हैं ।	जल संसाधनों के इष्टतम एवं कुशल उपयोग के लिए बेहतर प्रबंधन	महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन के संबंध में नदी बोर्ड संगठनों के गठन के लिए बेसिन राज्यों का समर्थन मांगने का प्रयास जारी है।	

		कुशल निष्पादन एवं प्रबंधन में परियोजनाओं को सुविधा प्राप्त होगी । इससे सृजित सुविधाओं की संभावित दक्षता प्राप्त होगी और सिंचाई, जल विद्युत आदि के लिए सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग होगा ।							
13	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केन्द्रों पर समय से पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देशभर में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का रखरखाव करना।	54.36	25.00	0.00	वास्तविक समय आंकड़ों का संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं।	बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आयोजना गतिविधियों में मदद करने की दृष्टि से आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी ।	जारी गतिविधि	
14	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव	-	199.30	0.00	(i) नेपाल में कोसी बराज के बाएं प्रवाह बंध की दरार बंद करना। (ii) माजुली द्वीप समूह काकटाव-रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य (iii) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण (iv) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं (v) संयुकत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी (vi) साझी/ सीमा नदियों पर विकास कार्य ।	बार-बार आने वाली बाढ़ों को कम करना	केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गतिविधियां कार्यान्वित की जानी है ।	
15	अवसंरचना विकास	जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों भूमि एवं	-	15.00	0.00	केन्द्रीय जल आयोग एवं सीजीडब्ल्यूबी के लिए कार्यालय एवं आवासीय	बेहतर और अधिक दक्ष कार्य का माहौल।	ये गतिविधियां केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूमि जल	

		इमारत की व्यवस्था एवं जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में आईटी प्लान का कार्यान्वयन ।				इमारतों का निर्माण एवं अन्य गतिविधियां		बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जानी है ।	
16	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए जल उपयोग दक्षता एवं प्रति इकाई भूमि से फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों तक सिंचाई जल की पर्याप्त वितरण प्रणाली विकसित करना	-	400.00	0.00	(i) ओएफडी कार्य (फील्ड चैनल एवं भूमि समतलीकरण क्षेत्र सीमाओं को आकृति एवं पुनः संरेखन करना) = 0.35 मि.हे. (ii) फील्ड, मध्यम एवं संपर्क वाहिकाएं = 0.14 मि.हे. (iii) प्रणाली कमियों का सुधार = 0.026 मि.हे. (iv) जल जमाव क्षेत्रों का सुधार=0.022 मि.हे.	(क) फार्म पर विकास (ओएफडी) कार्य (ख) प्रतिभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) एवं वाराबंदी का कार्यान्वयन (ग) संवहन कमियों में सुधार और (घ) जल जमाव, लवणीय एवं क्षारीय भूमि के सुधार द्वारा सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता के बीच का अंतर समाप्त करना ।	सतत गतिविधि	
17	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने एवं (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभ लेने की दृष्टि से निर्माण की अंतिम अवस्था में चल रही सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को पूरा करना जो कि राज्य सरकार की इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने में संसाधन क्षमता से परे हैं ।	-	7000.00	0.00	एआईबीपी के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1.05 मि.हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना (वृहद/मध्यम 0.90 मि.हे. एवं लघु 0.15 मि.हे.)	एआईबीपी द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन (वृहद/मध्यम एवं लघु)	सतत गतिविधि	
18	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार	स्कीमों के उद्देश्य निम्न है (i) जल निकायों की भंडारण क्षमता को बहाल करना और संवर्धन करना और (ii) उनकी सिंचाई	-	399.00	0.00	आंध्र प्रदेश परियोजना को 21 जिलों एवं जिला परियोजना एककों तक बढ़ाया गया है । कर्नाटक परियोजना 8 जिलों में	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	सतत गतिविधि	

		क्षमता को पुनः प्राप्त करना और बढ़ाना।				14.1.08 से शुरू हो गई है । तमिलनाडु परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से सितम्बर, 2007 में शुरू हो गई है ।			
19	बांध पुनःस्थापना तथा सुधार कार्यक्रम	केन्द्रीय जल आयोग और प्रतिभागी राज्यों में बांध सुरक्षा सुनिश्चितता के सांस्थानिक फ्रेमवर्क को सुदृढ़ और अधिक मजबूत करने के लिए बांध सुरक्षा और पुनःस्थापना से संबंधित उपाय करने में राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना।	-	1.00	0.00	भारत सरकार, राज्य सरकारों और विश्व बैंक के बीच समझौते के बाद कार्यकलाप के आरंभ करने को सुविधाजनक बनाने में सांकेति प्रावधान रखा गया है ।		यह प्रस्तावित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है । विश्व बैंक के साथ चर्चा जारी है । परियोजना मार्च, 2010 तक शुरू होने की संभावना है।	
20	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल विकास निकास, बाढ़ रोधी कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	-	900.00	0.00	(i) गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंध कार्य (ii) गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण पर कार्यबल-2004 द्वारा सुझाए गए कटावरोधी कार्य, जल निकास विकास कार्य आदि (iii) तटवर्ती राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य। (iv) चुनिंदा खंडों में नदी सेक्शनों की गाद हटाना/खुदाई।	इससे बाढ़ नदी तट कटाव और तटीय कटाव के कारण क्षति को कम करने में सहायता मिलेगी ।	विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में समिति द्वारा नए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।	
		कुल	310.63	9300.00	0.00				

अध्याय- III

सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहल

3.1 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में आठ राष्ट्रीय मिशन परिकल्पित हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है । जल संसाधन मंत्रालय को राष्ट्रीय जल मिशन के इन्स्टीट्यूशनलाइजेशन का कार्य सौंपा गया है । मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के लिए वृहद मिशन दस्तावेज का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे प्रधानमंत्री के जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद के विचारार्थ प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया है । एक महत्वपूर्ण कार्यनीति राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करनी है ।

3.2 सिंचाई और जल निकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) और जल संसाधन मंत्रालय ने 6-11 दिसम्बर, 2009 के दौरान नई दिल्ली में 5वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय परिषद बैठक का संयुक्त रूप से आयोजन करने का प्रस्ताव किया है । एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का विषय "प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं बेहतर प्रचालन एवं रखरखाव के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में सुधार" लाना है ।

3.3 सचिवों की समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार साम्य पूंजी के रूपान्तरण की तारीख को भारत सरकार की मूल राशि के रूपान्तरण और देय संचयी ब्याज के जरिए और कंपनी अधिनियम, 1956 में यथानिर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे 10% मूल्य का उल्लेख करते हुए एनपीसीसी के पुनरूद्धार के लिए इस मंत्रालय का प्रस्ताव आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था ।

3.4 जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात के पक्षकार राज्यों ने पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल संपर्कों की विस्तत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने संबंधी समझौता ज्ञापन के लिए अपनी सहमति दे दी है । यह कार्य जनवरी, 2009 में प्रारंभ कर दिया गया है और इसे दिसम्बर, 2011 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है ।

3.5 भारत-चीन सहयोग : भारत और चीन के बीच 10 से 12 अप्रैल, 2008 तक नई दिल्ली में आयोजित सीमापार नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) की दूसरी बैठक के दौरान चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र/यालुजांग्बु नदी की जल वैज्ञानिक सूचना के प्रावधान के संबंध में समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था । उक्त ज्ञापन पर 4-7 जून, 2008 के दौरान भारत के माननीय विदेश मंत्री के चीन दौरे के दौरान 5 वर्षों की वैधता के लिए 05.06.2008 को चीन द्वारा हस्ताक्षर किया गया । इसके अनुसरण में चीनी पक्ष ने नदी यालुजांग्बु/ब्रह्मपुत्र पर स्थित नुगेशा, यांगोन और नुक्सिया नामक तीन केन्द्रों के संबंध में 08.09.2008 से आंकड़े भेजना शुरू कर दिया है।

3.6 मंत्रिमंडल द्वारा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के लिए दो नई स्कीमें बाह्य सहायता वाली एक और घरेलू सहायता वाली दूसरी अनुमोदित कर दी गई हैं। इन स्कीमों में चुनिंदा जल निकायों में व्यापक सुधार की योजना है जिसमें उनका पुनरूद्धार, उनके आवाह क्षेत्रों में सुधार, जल निकायों के स्थाई प्रबंधन के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं स्व-समर्थन प्रणाली शामिल हैं ।

3.7 ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन : बोर्ड के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र को देखते हुए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन करने की पहल की गई है ।

अध्याय - IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2007-08 के दौरान निष्पादन तथा 2008-09 के निष्पादन (पहले निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में) संबंधी संगत सूचना **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक - II** **पर दी गई है।**

2. इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम है जो 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' है इसके ब्यौरे **अनुलग्नक - III** तीन में दिये गये हैं।

अध्याय - V

समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आबंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे **अनुलग्नक - IV** पर दर्शाये गये हैं।

वित्त वर्ष 2008- 09 में व्यय की प्रवृत्ति :

5.2 वर्ष 08-09 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन 600.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन में कम करके 550.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था। लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार, मार्च, 2009 तक 441.18 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो 08-09 के बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 73.53% और 80.21% होता है।

5.3 वित्त वर्ष 08-09 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों के तहत मार्च, 2009 तक अनुमोदित योजना परिव्यय (ब.प्रा./सं.प्रा. दोनो) तथा व्यय का क्षेत्रवार वितरण संक्षेप में इस प्रकार है:

(रूपये करोड में)

Sector	ब.प्रा. 2008-09	सं.प्रा. 2008-09	मार्च, 09 तक व्यय
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	209.90	186.78	141.58
लघु सिंचाई	104.10	89.70	55.14
बाढ़ नियंत्रण	211.00	197.84	190.43
परिवहन क्षेत्र	75.00	75.68	54.03
कुल	**600**	**550**	**441.18**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्यता स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों जो अनिवार्यता होते हैं उनके समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है। फरक्का बैराज परियोजना केवल ऐसी परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है। जल संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है।

5.5 चंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है। इसलिए केन्द्र सरकार बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

5.6 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
2. जल विज्ञान परियोजना
3. जल संसाधन विकास का अन्वेषण
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय जल अकादमी
6. सूचना, शिक्षा और संचार
7. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना
8. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण
9. भूमि जल प्रबंधन और विनियमन
10. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीएण्डआरआई
11. बाढ़ पूर्वानुमान
12. नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से सवंबंधित कार्य
13. पगलादिया बांध परियोजना
14. अवसंरचना विकास
15. फरक्का बैराज परियोजना

राज्य क्षेत्र स्कीमें

16. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
17. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धारा
18. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
19. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
20. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5.7 पिछले-2 वर्षों में आबंटित और व्यायत बजट दर्शाने वाली व्यापक तालिक तालिका-क और ख में दी गई है । विभिन्न क्षेत्रों (तालिका क) के बीच निधि के आबंटन और जिस रूप में मंत्रालय का व्यय हुआ है (तालिका ख) के संबंध में मंत्रालय के बजट में उल्लेख किया गया है ।

5.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के संबंध में ब्यौरे तालिका ग में दिया गया है:

तालिका - क
बजट एक दृष्टि में
(क्षेत्रवार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**									
1.	जल संसाधन मंत्रालय (खास)	0.00	14.41	0.00	19.13	0.00	19.58	0.00	21.00	21.00
2.	रावी-व्यास जल अधिकरण	0.00	0.63	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.80	0.80
3.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	0.00	1.19	0.00	1.37	0.00	1.45	0.00	1.60	1.60
4.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.09	0.00	1.28	0.00	1.17	0.00	1.40	1.40
	कुल : सचिवालय आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**17.32**	**0.00**	**22.53**	**0.00**	**22.95**	**0.00**	**24.80**	**24.80**
II	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	13.81	0.00	14.25	0.00	15.97	0.00	23.00	23.00
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	46.35	0.00	44.65	0.00	47.35	0.00	69.22	69.22
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.42	0.00	0.57	0.00	0.60	0.00	0.65	0.65
4.	अनुसंधान	0.00	0.87	0.00	1.11	0.00	1.50	0.00	1.60	1.60
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	5.16	0.00	3.25	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50
6.	परामर्शी	0.00	13.88	0.00	13.56	0.00	18.00	0.00	20.00	20.00
7.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों को योगदान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
8.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.13	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30
9.	उपस्कर का आधुनिकीकरण सीडब्ल्यूसी आफसेट प्रेस	0.00	0.19	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.35	0.35

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	0.44	0.00	0.45	0.00	0.50	0.00	0.60	0.60
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	0.92	0.00	0.93	0.00	1.25	0.00	1.40	1.40
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	1.20	0.00	1.35	0.00	1.50	0.00	1.60	1.60
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	1.86	0.00	2.30	0.00	2.64	0.00	2.60	0.00	2.60
	कुल : केन्द्रीय जल आयोग	**1.86**	**83.37**	**2.30**	**80.68**	**2.64**	**91.73**	**2.60**	**123.23**	**125.83**
15.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	4.31	0.00	4.85	0.00	4.82	0.00	5.00	5.00
16.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	18.24	0.00	17.00	0.00	22.10	0.00	25.00	25.00
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	5.18	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.30	5.30
18.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.43	0.00	0.51	0.00	0.58	0.00	0.90	0.90
19.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.11	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.23	0.23
20.	सतलज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	22.00	22.00
21.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	0.37	0.00	1.58	0.00	1.08	0.00	1.84	1.84
22.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	33.28	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	52.00	0.00	52.00
23.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	18.65	0.00	46.00	0.00	45.10	0.00	70.00	0.00	70.00
24.	जल विज्ञान परियोजना	6.98	0.00	44.00	0.00	25.51	0.00	38.10	0.00	38.10
25.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	25.09	0.00	37.00	0.00	37.59	0.00	42.00	0.00	42.00

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
26.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	1.32	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	12.00	0.00	12.00
27.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.50	0.00	0.50
28.	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	0.48	0.00	1.60	0.00	0.58	0.00	1.00	0.00	1.00
29.	अवसंरचना विकास	1.33	0.00	5.00	0.00	2.35	0.00	1.00	0.00	1.00
30.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	कुल : वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**88.99**	**112.01**	**209.90**	**134.98**	**186.78**	**140.67**	**219.20**	**183.51**	**402.71**
III	**लघु सिंचाई**									
1.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	59.51	0.00	57.70	0.00	82.80	0.00	94.99	94.99
2.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआरआई	0.60	0.00	2.10	0.00	0.81	0.00	2.00	0.00	2.00
3.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	48.11	0.00	95.00	0.00	84.29	0.00	70.00	0.00	70.00
6.	अवसंरचना विकास	1.27	0.00	7.00	0.00	4.60	0.00	4.00	0.00	4.00
	कुल : लघु सिंचाई	**49.98**	**59.51**	**104.10**	**57.70**	**89.70**	**82.80**	**76.00**	**94.99**	**170.99**
IV.	**कमान क्षेत्र विकास**									
1.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम #	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल : कमान क्षेत्र विकास	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
V.	***बाढ़ नियंत्रण केन्द्रीय जल आयोग***									
1.	बाढ़ आंकड़ा संग्रह	0.00	36.48	0.00	35.00	0.00	50.00	0.00	55.00	55.00
2.	बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान	0.00	0.71	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	1.20	1.20
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक	0.00	1.58	0.00	1.60	0.00	2.00	0.00	2.25	2.25

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण									
	कुल : केन्द्रीय जल आयोग	0.00	38.77	0.00	37.40	0.00	53.00	0.00	58.45	58.45
4.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	1.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
5.	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमें									
	-पगलादिया बांध परियोजना	1.35	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	13.91	0.00	23.00	0.00	22.22	0.00	25.00	0.00	25.00
7.	सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं कार्य	51.44	0.00	160.00	0.00	160.50	0.00	199.30	0.00	199.30
8.	अवसंरचना विकास	1.54	0.00	26.00	0.00	14.12	0.00	10.00	0.00	10.00
	कुल : बाढ़ नियंत्रण	68.24	40.09	211.00	40.40	197.84	56.00	234.80	61.45	296.25
VI.	**अन्य परिवहन सेवाएं**									
1.	फरक्का बैराज परियोजना	30.99	18.31	75.00	19.24	75.68	28.25	70.00	32.00	102.00
2.	जांगीपुर बैराज	0.00	1.52	0.00	1.75	0.00	2.00	0.00	2.25	2.25
3.	पोषक नहर	0.00	3.09	0.00	3.40	0.00	3.54	0.00	4.00	4.00
	कुल : परिवहन सेवाएं	30.99	22.92	75.00	24.39	75.68	33.79	70.00	38.25	108.25
	कुल (I से VI) *	516.04	251.85	600.00	280.00	550.00	336.22	600.00	403.00	1003.00
VII.	**एआईबीपी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम****	5445.71	0.00	5550.00	0.00	7850.00	0.00	8700.00	0.00	8700.00
	कुल जोड़	5961.75	251.85	6150.00	280.00	8400.00	336.22	9300.00	403.00	9703.00

वित्त का स्रोत: वर्ष 2009-10 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 103(एआईबीपी को छोड़कर)

*** मांग संख्या 35 में दर्शाए गए विवरण- वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित)*

 # स्कीम 2008-09 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है ।

तालिका - ख

बजट एक दृष्टि में

(व्यय का प्रकार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
क.	**प्रत्यक्ष व्यय**									
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	0.00	17.32	0.00	22.53	0.00	22.62	0.00	24.80	24.80
2.	केन्द्रीय जल आयोग									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	1.86	83.37	2.30	80.68	2.64	91.84	2.60	123.23	125.83
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	38.77	0.00	37.40	0.00	53.00	0.00	58.45	58.45
3.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	4.31	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	5.00	5.00
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	18.24	0.00	17.00	0.00	22.10	0.00	25.00	25.00
5.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	59.51	0.00	57.70	0.00	83.00	0.00	94.99	94.99
6.	राजीव गांधी एंड एनजीडब्ल्यूटीआरआई	0.60	0.00	2.10	0.00	0.81	0.00	2.00	0.00	2.00
7.	फरक्का बैराज परियोजना	30.99	22.92	75.00	24.39	75.68	33.79	70.00	38.25	108.25
8.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	0.91	0.00	2.25	0.00	1.82	0.00	2.97	2.97
9.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	कुल : प्रत्यक्ष व्यय	**33.45**	**245.35**	**79.40**	**246.80**	**79.13**	**313.02**	**74.60**	**372.70**	**447.30**
ख. (क)	**जारी की गई राशि स्वायत्त निकायों को अनुदान**									
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	5.18	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.30	5.30
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम									
	-वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं	33.28	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	52.00	0.00	52.00
3.	पगलादिया बांध परियोजना	1.35	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50
	उप जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**34.63**	**5.18**	**62.00**	**5.20**	**61.00**	**5.20**	**52.50**	**5.30**	**57.80**
(ख)	**केन्दीय/केन्द्र प्रायोजित/राज्य योजना स्कीमें**									
1.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (ख): केन्दीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(ग)	**बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता**									
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	1.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	उप-जोड़ (ग) : बाढ़ नियंत्रण/ कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता	**0.00**	**1.32**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2007-08		ब.प्रा. 2008-09		सं.प्रा. 2008-09		ब.प्रा. 2009-10		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(घ)	**राज्य सिंचाई स्कीमें**									
1.	सतलज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	22.00	22.00
	कुल: जारी की कुल धनराशि (क) से (घ)	312.47	6.50	62.00	33.20	51.00	23.20	52.50	30.30	82.80
	कुल (क+ख)*	**345.92**	**251.85**	**141.40**	**280.00**	**130.13**	**336.22**	**127.10**	**403.00**	**530.10**
ग	**अन्य योजना स्कीमें**									
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	18.65	0.00	46.00	0.00	45.10	0.00	70.00	0.00	70.00
2.	जल विज्ञान परियोजना	6.98	0.00	44.00	0.00	25.51	0.00	38.10	0.00	38.10
3.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	25.09	0.00	37.00	0.00	37.59	0.00	42.00	0.00	42.00
4.	सूचना, शिक्षा और संचार	1.32	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	12.00	0.00	12.00
5.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.50	0.00	0.50
6.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	0.48	0.00	1.60	0.00	0.58	0.00	1.00	0.00	1.00
7.	अवसंरचना विकास	1.33	0.00	5.00	0.00	2.35	0.00	1.00	0.00	1.00
	कुल - वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**53.85**	**0.00**	**147.60**	**0.00**	**124.14**	**0.00**	**164.60**	**0.00**	**164.60**
	लघु सिंचाई									
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	48.11	0.00	95.00	0.00	84.29	0.00	70.00	0.00	70.00
2.	अवसंरचना विकास	1.27	0.00	7.00	0.00	4.60	0.00	4.00	0.00	4.00
	कुल - लघु सिंचाई	**49.38**	**0.00**	**102.00**	**0.00**	**88.89**	**0.00**	**74.00**	**0.00**	**74.00**
	बाढ़ नियंत्रण									
1.	बाढ़ पूर्वानुमान	13.91	0.00	23.00	0.00	22.22	0.00	25.00	0.00	25.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य अवसंरचना विकास	51.44	0.00	160.00	0.00	160.50	0.00	199.30	0.00	199.30
3.	अवसंरचना विकास	1.54	0.00	26.00	0.00	14.12	0.00	10.00	0.00	10.00
	कुल - बाढ़ नियंत्रण	**66.89**	**0.00**	**209.00**	**0.00**	**196.84**	**0.00**	**234.30**	**0.00**	**234.30**
	कुल- (क+ख)+ग	**516.04**	**251.85**	**600.00**	**280.00**	**550.00**	**336.22**	**600.00**	**403.00**	**1003.00**
घ	**एआईबीपी और दूसरे जल संसाधन कार्यक्रम ** **	**5553.52**	**0.00**	**5550.00**	**0.00**	**7850.00**	**0.00**	**8700.00**	**0.00**	**8700.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**6069.56**	**251.85**	**6150.00**	**280.00**	**8400.00**	**336.22**	**9300.00**	**403.00**	**9703.00**

वित्त का स्रोत: * वर्ष 2009-2010 के लिए जल संसाधन मंत्रालय मांग सं. 103 (एआईबीपी को छोड़कर)

** *मांग सं. 35 में दर्शाए गए विवरण- वित्त मंत्रालय* (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित)

तालिका - ग

01.04.09 तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

01.04.09 तक की स्थिति

मार्च, 06 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.04.09 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65 (संस्थान और स्वायत्त निकाय)	2.92	22	0.70	43	2.22
25 (राज्य सरकारें)	51.57	9	13.19	21	38.38

एसएमडी का नाम	**मार्च, 06 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र की सं.**	**शामिल राशि (रूपये करोड़ में)**	**प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.**	**प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि**	**31.12.07 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.**	**बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)**
	1	2	3	4	5	6
लघु सिंचाई	2	0.04	0	0	2	0.04
गंगा स्कंध (#)	13	9.85	6	4.17	12	5.68
कमान क्षेत्र विकास	10	41.68	3	9.02	7	32.66
कुल	25	51.57	9	13.19	21	38.38

(#) उपयोग प्रमाणपत्रों के आंशिक रूप से प्राप्त होने के कारण

अध्याय VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय:

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड:

6.1.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड सिंचाई मंत्रालय (जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय का नया नाम दे दिया गया है) के अधीन संसद के एक अधिनियम अर्थात ब्रह्मपुत्र अधिनियम 1980 के 1980 (46) के तहत भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपत्र बोर्ड स्थापित किया गया था । बोर्ड के अधिकारक्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियां दोनों शामिल है और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य शामिल हैं । बोर्ड कार्यालय ने गुवाहाटी स्थित मुख्यालय सहित जनवरी, 1982 से काम करना शुरू कर दिया था ।

6.1.2 बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : सर्वेक्षण और जांच करना तथा जल विद्युत, नौवहन तथा अन्य लाभकारी प्रयोजना के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के जल संसाधनों के विकास और प्रयोग को महत्व प्रदान करते हुए, बाढ़ के नियंत्रण, तट कटाव और जल निकासी संकुलन में सुधार के लिए मास्टर योजना तैयार करना । इसके कार्यों में बांधों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित मास्टर योजना में अभिज्ञात अन्य परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं तथा मास्टर परियोजनाओं में यथाप्रस्तावित तत्संबंधी कार्यों का निर्माण और साथ ही इस तरह के बांधों और निर्माण कार्यों का अनुरक्षण और संचालन करना ।

6.1.3 वर्ष 2008-09 के दौरान 5 उप बेसिन मास्टर योजनाओं अर्थात शगदोई, गोदाधेर, बेलसिरि, देपोटा एवं कुलसी-देवसिला के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा अन्य 3 पूर्ण हो चुके उप-बेसिन मास्टर प्लान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा ये भारत सरकार की स्वीकृति के प्रक्रियाधीन हैं । 7 उप-बेसिन मास्टर योजनाएं तैयार की जा रही हैं और शेष बची 6 योजनाओं का अन्वेषण कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2009-10 के दौरान 4 उप-बेसिन मास्टर योजनाएं पूरी की जाएंगी ।

6.1.4 असम में माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए मार्च, 2009 तक तात्कालिक कार्यों समेत 45.83 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है और चरण-। के अंतर्गत 92.5% कार्य पूरा हो चुका है। चरण-।। तथा चरण-।।। की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 115.03 करोड़ रूपये के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । चरण-।। एवं चरण-।।। वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू होंगे एवं वर्ष 2009-10 के लिए 11.31 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है । धौला हाथीगुली पर ब्रह्मपुत्र नदी के एवलशन कार्यों के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 5.18 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है ।

6.1.5 ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंतर्गत पूर्वोत्तर हाइड्रॉलिक और संबद्ध अनुसंधान संस्थान (नेहारी) ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एनईईपीसीओ, सीडब्ल्यूसी, एनएचपीसी इत्यादि के लिए काफी संख्या में मृदा, चट्टान एवं कंक्रीट नमूनों की परख का कार्य शुरू कर दिया है ।

6.1.6 बोरभाग एवं अमजुर जल निकास विकास योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष 2009-10 में इसके लिए क्रमश: 1.24 करोड़ रूपये एवं 3.30 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है।

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण:

6.2.1 रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मई 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्दर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई कर रहा है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पंजाब समझौता समापन अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति संदर्भ के निलंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण:

6.3.1 अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी व्यय विवाद अधिकरण (सी डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था । अधिकरण ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 05.2.2007 को प्रस्तुत किया । संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण ओर मार्गदर्शन की मांग की है ।

6.3.2 पक्षकार राज्यों और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार की ओर से अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत दायर की गई याचिका पर विचार करने के लिए 10.7.2007 को न्यायालय में एक बैठक की गई । माननीय अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 फरवरी, 2007 के अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति मंजूर की है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, यह आदेश दिया कि अधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाता है । विशेष अनुमति याचिका की प्राथमिक सुनवाई दिनांक 28 जुलाई, 2008 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इन अपीलों को नवम्बर, 2008 में तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । हालांकि यह मामला दोबारा सुनवाई के लिए नहीं आया तथा ये विशेष अनुमति याचिकाएं अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। सरकार द्वारा अधिकरण का कार्यकाल 02.11.2009 तक बढ़ा दिया गया है ।

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण:

6.4.1 अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बटवारे से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था । केडब्ल्यूडीटी का कार्यकाल 31.1.2010 तक बढ़ा दिया गया है ।

6.4.2 पक्षकार राज्यों द्वारा अभी तक दायर सभी 90 वाद कालीन आवेदनों का आवश्यक आदेश पारित करते हुए तथा अभिलेखों/रिपोर्टों/आंकड़ों को दर्ज करते हुए निपटारा कर लिया गया है।

6.4.3 पहले के मुद्दों पर अंतिम जिरह शुरू हो चुकी है और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों ने अपनी जिरह पूरी कर ली है । आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से जिरह जारी है ।

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां):

6.5 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए):

6.5.1 जल संसाधन मंत्रालय (एम ओ डब्ल्यू आर) और केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का अन्तर बेसिन हस्तांरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रसतावों की व्यवहार्यता स्थापित करने तथा इसे मूर्त रूप देने के वास्ते भिन्न-भिन्न प्रकार का तकनीकी अध्ययन करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जुलाई, 1982 में किया गया था ।

6.5.2 समय-समय पर यथानुमोदित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नवत हैं:

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं ।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणलियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा की बारे में विस्तृत अध्ययन करना ।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।

ङ) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अन्त: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, आकस्मिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है ।

6.5.3 माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन.डब्ल्यू.डी.ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है । सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एन डब्ल्यू डी ए का शासी निकाय प्रत्येक छः महीने में कार्यक्रम और कार्यो की प्रगति की समीक्षा करता है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टी एसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है । सभी संबंधित राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है ।

6.5.4 विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है । इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्क (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही पूरी हो चुकी हैं ।

6.5.5 वर्ष 2008-09 के दौरान आईएलआर कार्यक्रम पर 30.04 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है । केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और दो अन्य संपर्कों नामशः पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किए गए हैं।

6.5.6 वर्ष 2009-10 के दौरान एनडब्ल्यूडीए को 32.44 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया है । यह आईएलआर कार्यक्रम के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य एवं पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य जारी रखेगा । हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में तीन संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है ।

6.6 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)

6.6 .1 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन आई एच) एक शीर्षस्थ एस एण्ड टी संगठन है जो देश में जल विज्ञान और जल संसाधनों के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य करता है । जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय रूड़की में स्थित है । केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं । इस संस्थान का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा किया जाता है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति इस संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की तकनीकी जांच के लिए उत्तरदायी है । संस्थान के निदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं ।

6.6.2 संस्थान के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है :

i) जलविज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्य करना, उसकी सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना ।

ii) जलविज्ञान के क्षत्रे में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहायता और सहयोग करना ।

iii) सोसायटी के लक्ष्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ प्रस्तकालय स्थापित करना और बनाए रखना तथा उसे पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं तथा संगत प्रकाशनों से सुसज्जित करना ; तथा

iv) ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो कि सोसायटी उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई है जरूरी प्रासंगिक, पूरक अथवा अनुकूल समझे ।

6.6.3 संरचना : संस्थान में अध्ययन तथा अनुसंधान मुख्यालय में पांच वैज्ञानिक डिविजनों के अन्तर्गत किया जाता है , दो केन्द्र गुवाहाटी व पटना में बाढ़ प्रबन्ध अध्ययन के लिए और चार क्षेत्रीय केन्द्र बेलगाम, जम्मू , काकीनाडा और सागर के मुख्यालय में वैज्ञानिक डिविजन ये हैं , (i) सतही जल विज्ञान , (ii) भूजल विज्ञान, (iii) पर्यावरणीय विज्ञान, (iv)जल संसाधन प्रणाली और (v) जल विज्ञान जाँच ।

6.6.4 क्षेत्रीय केन्द्र : विभिन्न क्षेत्रों का जल विज्ञान अध्ययन संस्थान के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर किए जाते है अर्थात (क) डेक्कन हाई रॉक क्षेत्रीय केन्द्र (ख) पश्चिमी हिमालय केन्द्र, (ग)डेल्टिक क्षेत्रीय केन्द्र और (घ) गंगा प्लेन दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र ।

6.6.5 एन आई एच गंगा प्लेन उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र पटना उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी को पुनर्नामित करके क्रमशः गंगा बेसिन पटना के लिए बाढ़ प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र और ब्रह्मपुत्र बेसिन गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रबंध्न अध्ययन केन्द्र कर दिया गया है और ये केन्द्र मुख्य रूप से संबंधित बेसिनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए जल विज्ञान अध्ययन पर फोकस करते हैं ।

6.6.6 वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक निष्पादन एवं वर्ष 2009-10 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	प्रत्याशित परिणाम	वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक लक्ष्य	वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक उपलब्धियां	वर्ष 2009-10 के लिए वास्तविक लक्ष्य
1.	भौतिक/गणितीय माडल/डेस्क अध्ययन/ प्रयोगशाला अध्ययनों की पूर्णता	40	40	50
2.	तकनीकी रिपोर्टों की तैयारी / पूर्ण हो चुके अध्ययन	30	28	30
3.	शोध पत्रों का प्रकाशन	100	155	160
4.	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों की तैयारी	1	1	2

5.	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	19	19	12
6.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	12	20	25

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6.7 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) लिमिटेड

6.7.1 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) लिमिटेड केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में एक "मिनी रत्न" उपक्रम है । कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को शामिल वाप्कोस जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा है । कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी 2.00 करोड़ रूपये है । वाप्कोस ने विश्व के शीर्षस्थ परामर्शी संगठनों के रूप में अपनी पहचान बना ली है। कंपनी में समर्पित व्यावसायिकों का एक सुगठित दल मौजूद है और उसे संगत क्षेत्रों में कार्यरत राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है तथा वह बहुविध प्रकार की गहन तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, भारतीय रजिस्टर गुणवत्ता प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है।

6.7.2 विशेषज्ञता के क्षेत्र : कम्पनी की विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: सिंचाई और जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण और भूमि पुनरूद्धार, नदी प्रबंध, बांध, जलाशय इंजीनियरी और बराज, एकीकृत कृषि विकास, जल विभाजक प्रबंध, जलविद्युत और तापीय विद्युत उत्पान, विद्युत संचरण और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भू जल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण तथा शहरी), पर्यावरणात्मक प्रभाव आकलनों सहित पर्यावरणात्मक इंजीनियरी तथा पर्यावरणात्मक ऑडिट, पत्तन और बंदरगाह तथा अन्तर्देशीय जल मार्ग, वर्षा जल संचयन; सर्वेक्षण और जांच, मानव संसाधन प्रबंध, प्रणालीगत अध्ययन तथा सूचना प्रौद्योगिकी। वाप्कोस सॉफ्टवेयर विकास, नगर विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंध प्रणाली, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण पर्यवेक्षण, मार्ग और सेतु जैसे जैसे अपेक्षतया नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। कंपनी ने भारत तथा विदेश में विकास परियोजनाओं के लिए सेवाएं शुरू करने की अवधारणा को शामिल करने हेतु अपने संगम अनुच्छेद में भी संशोधन किया है । वर्ष 2009-10 के दौरान इन सेवाओं के क्षेत्र में कंपनी द्वारा अपनी कार्य क्षमता को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आशा है ।

6.7.3 सेवाओं का स्पेक्ट्रम: वाप्कोस की सेवाओं की विवरण में बहुविध क्रियाकलाप शामिल हैं जैसेकि व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुरूपन अध्ययन, नैदानिक अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, मास्टर योजनाएं तथा क्षेत्रीय विकास योजनाएं, क्षेत्रीय जांच, डिजाइनों सहित विस्तृत इंजीनियरी, विस्तृत विशिष्टियां, टेंडर प्रक्रिया, संविदा और निर्माण प्रबंध, कार्यारम्भ और परीक्षण, संचालन और अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंध, सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन विकास।

6.7.4 व्यापार विकास : कंपनी का प्रक्षेपित परिदृश्य सूचना प्रौधोगिकी एवं मानव संसाधन में निवेश के साथ संयोजित उच्च उत्पादकता, प्रशिक्षित एवं सशक्त कर्मचारी, उच्च लाभांश एवं वृद्धि वाले व्यापार क्षेत्र में अग्रणी होता है ।

6.7.5 वाप्कोस अपने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में घरेलू बाजारों में ऊंची वृद्धि से उभरते हुए अवसरों; अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों-विशेषतया एशिया और अफ्रीका क्षेत्रों में बढ़ती हुई संभावनाओं; संचार प्रौधोगिकी सुधार, जिससे नेटवर्किंग को बढावा मिलता है, को भुनाने के लिए तैयार है ।

6.7.6 वाप्कोस ने विभिन्न देशों, सेना के क्षेत्रों, बाजार-प्रवेश और संस्थानों ने विभिन्न बाजार घटकों के अधीन विशेष ध्यान के लिए नए जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। सेवाओं के पता लगाए गए कुछ नए क्षेत्र हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संचयन, कम लागत में साफ-सफाई, झीलें और आद्रभूमि; सड़कें; सूचना, शिक्षा और संचार; क्षमता निर्माण। सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण; जल गुणवत्ता मानीटरिंग, शहरी विकास योजनाएं, जनजाति क्षेत्र विकास, झंझावात जल निकासी और ग्रामीण विकास। उदार और प्रतियोगी व्यवसाय के परिवेश में ऐसे संगठनों के साथ निरंतर सापर्क और वार्तालाप जरूरी है। जिन के कंपनी की सेवाओं की प्रकृति से संबद्ध बाजार हित हैं। नए क्षेत्रों में पैर जमाने के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी संगठनों से संयुक्त उद्यम शुरू किए हैं। भारत में परामर्शी सेवाओं के लिए अत्याधुनिक प्रौधोगिकी उपलब्ध कराने के लिए वाप्कोस ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा के अधीन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए डीएच आदि (डेनिश हाइड्रौलिक्स इंस्टीट्यूट, डेनमार्क) और हाइड्रो तस्मानिया आस्ट्रलिया से सहयोग किया। इसी प्रकार निदेशों में परियेाजनाओं के लिए वाप्कोस ऐसे परामर्शदाताओं से महत्वपूर्ण सहयोग किया जिसके पास अन्य देशों में पहले से ही आधार है। वाप्कोस के कोलम्बिया, भुटान, इथोपिया, सुडान, लाओस, म्यानमार, मोजम्नीक, लेसोथो, घाना, अफगानीस्थान और साउदी अरब की शाही किंगडम में कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं या तो पहले से प्राप्त कर ली हैं या प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी की मुख्य शक्ति इसकी तकनीकी विशेषज्ञता, व्यवसाय क्षेत्रों का ज्ञान और इनमें मौजूदगी, "तकनीकी कंसलटेंसी" संगठन के रूप में छवि, भारत और एशियाई/अफ्रीकी क्षेत्र में कार्य का अनुभव, व्यवसाय कार्य निष्पादन और उत्पादकता को सुधारने के लिए उच्च प्रबंधन अभिमुखीकरण में विद्यमान है । वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी इन सभी बाजार हिस्सों में अपने प्रचालन को मजबूत करेगी।

6.7.7 मानव संसाधन : तकनीकी-वाणिज्यिक संगठन के रूप में वाप्कोस, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विविध संगठनों में विकसित प्रतिभा और विशेषज्ञता का प्रयोग करता है। वाप्कोस ग्राहकों को गुणात्मक समयबद्ध सेवाएं मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी है। वाप्कोस को अपनी शक्ति अपने मानव संसाधनों से प्राप्त होती है जो कि संगठन की रीड़ की हड्डी है। परामर्शी सेवाएं 3 मुख्य केन्द्रों अर्थात् जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना द्वारा चलाई जाती है। वाप्कोस के पास अपने व्यवायियों और भारत सरकार के विभिन्न संगठनों अर्थात् केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केन्द्रीय जल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अभियंत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशा्ला (सीएसएमआरएस) इत्यादि और अन्य राज्य तथा लोक निर्माण विभागों से लिए गए विशेषज्ञों से युक्त बहु विषयी परियोजना दल मुहैया करने की अन्तर्निहित क्षमता है।

6.7.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशों में प्रचालनों के लिए मान्यता: वाप्कोस ने 40 देशों में परामर्शी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं/जारी हैं और वह वित्तपोषित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक (जेबीआईसी) आदि जैसी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषी एजेन्सियों के साथ पंजीकृत है। संप्रति, वाप्कोस भारत के अलावा अफगानिस्तान, भूटान, कम्बोडिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, लाओस, लिसोथो, मोजाम्बिक, रवांडा, सूडान, स्वाजिलैंड, यूगांडा, जाम्बिया और जिम्बाबवे को परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

6.7.9 कार्य निष्पादन : कम्पनी का कार्य निष्पादन इसकी स्थापना से लेकर धीरे-धीरे और विश्वसनीय ढंग से बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी की आय और व्यय का बयौरा नीचे दिया गया है :

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 समझौता ज्ञापन लक्ष्य	2008-09 के लिए अनन्तिम/ अलेखापरीक्षित उपलब्धियां
1.	आय - परियोजनाएं - अन्य आय	128.10 6.31	160.05 4.01	155.00 -	205.00 6.57
	कुल (क)	134.41	164.06	155.00	211.57
2.	व्यय -परियोजनाएं	104.13	126.23	-	161.26
	-मुख्यालय बैक अप व्यय	11.92	14.32	-	17.61
	- अवमूल्यन	0.58	0.70	-	0.80
	कुल (ख)	116.63	141.25	-	179.67
3.	टैक्स से पूर्व लाभ (पूर्व अवधि समायोजन के बाद)	18.63	23.69	-	31.90
4.	सकल उपांत	19.20	24.39	21.34	32.70
5.	लाभांश	2.40	3.10	-	3.10

6.8 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

6.8.1 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) को नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत 1957 में निगमित किया गया था। कम्पनी की अधिकृत पूंजी 30.00 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 29.84 करोड़ रुपये है। इसमें से 14 राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र ने 1.05 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और बाकी रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कम्पनी का निगमित कार्यालय फरीदाबाद में है तथा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संप्रति इस कम्पनी के कोलकाता, भूवनेश्वर, अगरतल्ला, गुवाहाटी, सिल्चर, सिलांग, सिपात, जम्मू तथा कश्मीर, पार्ले, बंगलोर, पटना, रांची, छपरा, लखनऊ,एन सी आर दिल्ली और देहरादून में 16 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। संप्रति इसके 106 यूनिट हैं जिनमें से 18 यूनिट काम नहीं कर रहे हैं। कम्पनी की कुल जनशक्ति 2001 है। अतिरिक्त जनशक्ति घटाने के लिए 1992 से स्वैछिक सेवानिवृति योजना चालू है जिसके अधीन 3129 कर्मचारियों ने सेवानिवृति ले ली है।

6.8.2 निगम ने अपने प्रचालन के पहले दस वर्षों में अच्छा निष्पादन किया और 1966-67 तक (वर्ष 1962-63 को छोड़कर) प्रदत्त पूंजी पर लगातार लाभांश घोषित किया। कम्पनी को अगले पांच वर्षों में भारी नुकसान हुआ। 1972-73 से लेकर 1984-85 के बीच एनपीसीसी ने मामूली लाभ कमाया। 1985-86 से कम्पनी की आर्थिक स्थिति बराबर गिरती जा रही है। मार्च 2008 तक कम्पनी की संचित हानि 798.07 करोड़ रुपये थी। इसकी रुग्णता के मुख्य कारण 1990-91 से ऋणात्मक निवल मूल्य, अधिक कर्मचारी, ऋणों पर भारी ब्याज, और ग्राहकों से देय राशि की न्यून वसूली हैं।

6.8.3 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने 26.12.2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में भारत सरकार के 219.43 करोड़ रुपये के ऋण की मूल राशि और इसे इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने की दिनांक की स्थिति तक इसे देय एवं इसके द्वारा खर्च किए गए संचयी ब्याज को परिवर्तित कर और इसके बाद मूल्य के 10% तक ह्रासित कर एन पी सी सी लिमिटेड़ को पुनर्जीवित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। एन पी सी सी ने प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा कर 700 करोड़ रुपये करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को एक अनुरोध दायर किया है। जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों में एक टोकन प्रावधान किया गया है और इस संबंध में नया शीर्ष भी खोला गया है।

6.8.4 इक्विटी के द्वारा कंपनी में सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी पर प्राप्ति पिछले वर्ष के दौरान 700 करोड़ रूपये से अधिक नुकसान के कारण शून्य रही । वर्ष 2009-10 के लिए आकलन के अनुसार सरकार को लाभांश से आय शून्य होने की संभावना है । तथापि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।

6.8.5 कंपनी देश के कम विकसित क्षेत्रों में कार्य करती है । वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी द्वारा आरंभ की गई परियोजना में ये शामिल है (i) त्रिपुरा, मिजोरम, असम व मेघालय में बीबी फैसिंग, सड़क, कार्य, (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में असम राइफल्स कार्य, (iii) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर राज्य) में इंडो तिब्बत सीमा सड़क तथा (iv) बिहार आदि के विभिन्न जिलों में पीएमजीएसवाई कार्य । वर्ष 2009-10 के दौरान सेवा प्रणाली को बनाए रखना ।

अनुलग्नक-I

जल संसाधन मंत्रालय

पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से 2007-08 का निष्पादन

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रकिया/ समयसीमा	दिनांक 31.10.2007को कॉलम(5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमान क्षेत्र जल एवं विकास प्रबंधन कार्यक्रम	सिंचाई परियोजनाओं के कमानों में कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन शुरू करना	300.00	क) खेत चैनलों का निर्माण ख) क्षेत्र जल निकायों का निर्माण ग) 150 क्यूसेक तक वितरण की प्रणाली कमियों का सुधार घ) टैंकों का नवीकरण		(i) खेत चैनलों का निर्माण- 0.153 मि.हेक्टेयर (ii) खेत नाली का निर्माण-0.006 मि.हे. (iii) संवाहन प्रणाली दोष में सुधार-0.093 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वाली स्कीम स्वीकृत की गई है ।	राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त बराबर परिव्यय तथा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि जारी करने में देरी
2	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र संसाधन आकलन के लिए जलविज्ञानीय प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़ा एकत्र करना और इसकी विशेषताओं के लिए इसका विश्लेषण करना (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रक्रिया शुरू करना ।	30.00	आंकड़ा संग्रह तथा विश्लेषण एक सतत् गतिविधि है ।		371 जल गुणवत्ता प्रेक्षण स्थलों 878 स्थलों पर जलविज्ञानीय प्रेक्षण जारी है । जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए भी गतिविधियां शुरू की गई हैं ।	

3	जल विज्ञान परियोजना	(i) आंकड़ा संग्रह, प्रोसेसिंग और भण्डारण की प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, (ii) कार्यान्वयन अभिकरणों में इन आंकड़ों का प्रयोग करके जलवैज्ञानिक आयोजना एवं अभिकल्प के लिए मानक प्रक्रिया विकसित करना	33.00	परियोजना के शुरूआती चरण में होने के कारण, मुख्य परामर्शियों को लगाने तथा आंकड़ा प्रोसेसिंग तथा उपयोगिता प्रणाली के सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई की जानी है ।	13 राज्यों तथा 8 केन्द्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । तीन प्रमुख परामर्शदाताओं को लगाने का कार्य भी वर्ष के दौरान पूरा किया जाना है।	(क) दो परामर्शदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा और तीसरी का जारी है। (ii) आवश्यक समग्रतावादी सहायता उपलब्ध करा दी गई है । (ii) प्रतिभागी अभिकरणों के लिए 5 कार्यशाला एवं 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।	
4	भूजल प्रबंधन एवं नियमण	(i) भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए समेकित भूजल प्रबंधन अध्ययन (ii) भूजल योग्य क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए वैज्ञानिक उपकारणों, अर्थात दूरस्थ संवेदन और जीआईएस, ड्रिलिंग की सहायता से भूभौतिक सर्वे का उपयोग करते हए भूजल अन्वेषण (iii) भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन (iv) भूजल प्रबोधन केन्द्रों से भूजल स्तरों का प्रबोधन (v) केन्द्र/राज्य सरकार विभागों के प्राप्त स्रोतों के लिए लघु अवधि जल आपूर्ति छानबीन (vi) आयोजनों एवं प्रशासकों द्वारा उपयोग के लिए रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना	62.00	(क)भूजल प्रबंधन अध्ययन 1.5 लाख वर्ग मिमी. (ख) भूजल अन्वेषण - 800 कूप (ग) भूजल प्रबोधन - 15500 केन्द्र (घ) जिला रिपोर्ट तैयार करना -40	केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा एक वर्ष की समय सीमा में कार्यान्वित किया गया ।	(क) भूजल प्रबंधन अध्ययन 1.64 लाख वर्ग किमी. (क) भूजल अन्वेषण - 811 कूप (ग) भूजल प्रबोधन- अप्रैल/मई, अगस्त, नवम्बर के लिए पूर्ण (घ) जिला रिपोर्टों की तैयारी -44	

5	जल संसाधन विकास योजनाओं की छानबीन	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना	30.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी का कार्य जारी रहेगा ।	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है।	(क) 10 व्यवहार्यता रिपोर्टों तथा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरणों में हैं । (ख) आईएलआर परियोजनाओं की छानबीन का कार्य जारी है । (ग) 56 लघु सिंचाई स्कीमों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।	सह-बेसिन राज्यों की सहमति की आवश्यकता है ।
6	अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता	अग्रमी अनुसंधान संस्थानों अर्थात सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस,एनडब्ल्यू तथा आरजीएनजीडब्ल्यू टीआरआई की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता प्रदान करना । इसके अतिरिक्त, देश में विभिन्न अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।	35.50	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण तथा अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान संबंधी परिणाम सामान्यत: तकनीकी रिपोर्ट तथा अनुसंधान पत्रों के रूप में होता है जिनमें आयोजना तथा अभिकल्प के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिश होती है । मात्रात्मक सुपुर्दमियां निम्न हैं : (क) अनुसंधान रिपोर्ट-275 (ख) शोध पत्र-225 तथा (ग) सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्य-75	यह कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा पूरा किया जाना है ।	(i) रिपोर्ट तैयार करना - 302 (ii) शोध पत्र - 250 (iii) प्रशिक्षण एवं सेमिनार - 28	
7	पगलादिया बांध परियोजना	पगलादिया बांध परियोजना के संबंध में कार्य शुरू करना	1.00	क्षेत्रों को बाढ़ क्षतियों से बचाना ओर सिंचाई क्षमता के सृजन में भी लाभ उपलब्ध कराना। तथापि इस परियोजना के लिए कार्य शुरू		परियोजना पर कार्य भी शुरू किया जाना हे । पूर्ण निर्माण गतिविधियां जारी हैं ।	

				करना कुछ आवश्यकताओं जैसे जिरात सर्वेक्षण इत्यादि के पूरा होने पर निर्भर करता है । इसलिए इस वर्ष के लिए केवल सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।			
8	फरक्का बराज परियोजना	बराज, पोषक नहर, टाऊनशिप, वाहन, उपकरण इत्यादि का प्रचालन एवं रखरखाव	33.00	बराज के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए यह एक सतत् गतिविधि है ।		बराज तथा अन्य संरचनाओं का रखरखाव तथा नदी के प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह के साथ कटाव-रोधी कार्य आवश्यकतानुसार शुरू किए गए ।	
9	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।	0.50	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की जाएगी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		नई योजना अभी स्वीकृत की जानी है ।	
10	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	(i) बांध सुरक्षा से संबंधित उपाय शुरू करने के लिए अपनाएं जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए सिफारिश तथा अध्ययन शुरू करना । (ii) बांध सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराना विश्व बैंक सहायता के लिए	2.00	(क) बांध सुरक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में मानकों मार्गदर्शिकाओं की तैयारी (ख) पहचाने गए बांधों के सुरक्षा पहलुओं के मूल्याकन अध्ययनों को पूर्ण करना । (ग) साफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण		(i) सिंधु तथा कृष्णा के लिए संभावित अधिकतम वर्ष एटलस तैयार किए गए हैं । (ii) 10 बांधों के संबंध में ई एस ए अध्ययन प्रगति पर है। (iii) जम्मू व कश्मीर में बग्लिहार एच ई परियोजना के संबंध में	

		प्रस्तावित डीआरआईपी पर सहमति होने पर यह पक्ष शुरू किया जाएगा। अत: राज्य सेक्टर के तहत रूपये 1.00 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।)		कार्यक्रमों इत्यादि के द्वारा क्षमता निर्माण।		जलाशय अवसादन की गणीत्तीय माडलिंग पूरी कर ली गई है।	
11	बाढ़ प्रबंधन	केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत सीमा नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों शुरू की जानी है साथ ही साथ भारत सरकार, राज्य क्षेत्र योजना के तहत राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराएगी ।	461.00	बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव-रोधी कार्य ।	जांच/स्वीकृति तथा निधि जारी करने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय अभिकरणों/जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।	95% सटीकता के साथ 8056 पूर्वानुमान जारी किए गए तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव-रोधी स्कीमों की के.ज.आ. एवं जीएफसीसी द्वारा जांच की गई है।	केन्द्र क्षेत्र स्कीम (62 करोड़ रूपये) का कार्य मंत्रालयों के विभिन्न संगठनों द्वारा तथा राज्य क्षेत्र (रूपये 399 करोड़) का कार्य राज्य सरकारों/अभिकरणों द्वारा पूरा किया जाएगा ।
12	अवसंरचना विकास	कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रणाली, भूमि तथा इमारतों इत्यादि के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण से संबंधित गतिविधियों का अवसंरचनात्मक	12.00	केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड तथा जल संसाधन मंत्रालय के आईटीविकास के लिए भूमि तथा इमारतों का अधिग्रहण	के.ज.आ. एवं केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड इस संबंध में जल संसाधन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करेंगे ।	नई दिल्ली, हैदराबाद तथा कोलकाता में केन्द्रीय जल आयोग हैदराबाद और बैंगलोर में सी जी डब्ल्यू बी की कार्यालय इमारत का कार्य पूरा हो चुका है। केन्द्रीय जल आयोग की गुवाहाटी और जम्मू कार्यालय की इमारतों तथा केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की गुवाहाटी, भूवनेश्वर एवं भोपाल कार्यालय इमारतों में कार्य जारी है ।	भूमि एवं इमारतों के अधिग्रहण में विभिन्न सरकारी अभिकरण शामिल है ।
13	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने और (ख) इन परियोजनाओं से अभिकल्पित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से निर्माण के अंतिम चरण वाली	3080.00	1.50 एम एच ए की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	राज्यों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति तथा योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा	अभी तक 12 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनावार पूरी की जा चुकी हैं । 0.65 एम एच ए की सिंचाई क्षमता का	एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को शामिल किया जाना आवश्यक स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

		निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं कोसमयबद्ध रूप में पूरा करना, जोकि राज्य सरकार की संसाधन क्षमता से परे हैं ।			निर्धारित अधिकतम सीमाओं पर केन्द्रीय सहायता निर्भर करती है ।	सृजन किया गया है।	
14	कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धारा	(i) जल निकायों की भण्डारण क्षमता का पुनरूद्धार ओर संवर्धन करना और (ii) उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना तथा उनमें विस्तार करना ।	100.00	1098 जल निकायों के पुनरूद्धार के माध्यम से 0.78 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	सरकार द्वारा कार्यान्वयन ओर राज्य/सरकारों द्वारा मानीटरिंग। सक्रिय समुदायिक सहभागिता से जिला स्तरीय कार्यान्ययन समिति के माध्यम से प्रायोगिक स्कीम को कार्यान्वित किया जाना है । इस कार्यक्रम को दो पूर्ण कार्य मौसमों में पूरा किया जाना है ।	राज्य सरकार द्वारा कुल 928 जल निकायों को पूरा किए जाने की पुष्टि कर दी गई है ।ब्यौरा इस प्रकार है: उड़ीसा-127, छत्तीसगढ़-10, हिमाचल प्रदेश-13, कर्नाटक-286, पश्चिम बंगाल-56, जम्मू व कश्मीर-22, आध्र प्रदेश-250, झारखंड़-53, राजस्थान-4, तमिलनाडु-44, मध्य प्रदेश-5, गुजराट-36, केरल-21, महाराष्ट्र-1	
		कुल जोड़:	4180.00				

अनुलग्नक-II

जल संसाधन मंत्रालय
2008-2009 के दौरान निष्पादन

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/ समय सीमा	दिनांक 31.10.2007 को कॉलम(5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र संसाधन आकलन के लिए जलविज्ञानीय प्रेक्षण केंद्रों के नेटवर्क से आंकड़ा एकत्र करने और इसकी विशेषताओं के लिए इसका विश्लेषण कर-ना (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रक्रिया शूरू करना।	46.00	(i) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकडों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधित आंकडों को एकत्रित करना जारी है।		371 जल गुणवत्ता प्रेक्षण स्थलों 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षण जारी है। जल संसाधन सूचना प्रणली के विकास के लिए भी गतिविधियां शुरू की गई हैं।	
2	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना	44.00	(क)जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली में एचपी-I क्रियाकलापों के सुदृढ़ीकरण और लंबवत विस्तार के लिए 6 परामर्शियों को लगाना (ख) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों में परियोजना घटकों, जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण, लंबवत विस्तार और क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन। इन क्रियाकलापों को केंद्रीय अभिकरणों जैसे सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।	(क) 3 प्रमुख परामर्शी वर्ष 2008-09 की शुरूआत से कार्य करना शुरू करने वाले हैं और अन्य 3 परामर्शियों के वर्ष 2008-09 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। (ख) परियोजना घटकों का कार्यान्वयन 2008-09 से सक्रिय रूप से शुरू हो जाएगा और ये क्रियाकलाप 2012 तक जारी रहेंगे।	(क) 3 प्रमुख परामर्शी कार्य कर रहे हैं और सी डब्ल्यू सी के लिए चौथे परामर्शी का मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन है। अन्य दो परामर्शियों के संबंध में टी ओ आर में टी एवं एम परामर्शियों द्वारा संशोधन की आवश्यकता है। (ख) जलविज्ञान परियोजना चरण-II के आई ए के संबंध में सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्लयूबी द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रेरित अध्ययनों के 31 प्रस्ताव विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। 29 नए पद डी ओ ई, एम ओ एफ द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।	

3	भूजल प्रबंधन और नियमन	(i) भूजल प्रबंधन की योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन (ii) भूजल उपयोगी क्षेत्र खोजने के लिए ड्रिलिंग की सहायता से वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर संवेदी यंत्र एवं जी आई एस, भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण (iii) भूजल मानीटरिंग केन्द्रों से भूजल स्तर की मानीटरिंग (iv) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के प्राप्त स्त्रोतों के लिए अल्पकालीन जल आपूर्ति अन्वेषण (v) भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थल का चयन करने और जलभृत खोजने के लिए भूभौतीकीय अध्ययन (vi) भूजल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन(VII) आयोजकों एंव प्रशासकों द्वारा उपयोग के लिए रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना। (VIII) केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा भूजल विकास का नियमन (IX) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण करने के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना	95.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग किमी. • *भूजल अन्वेषण-800 कुएँ • *भूजल प्रेक्षण कुओं की मानीटरिंग-15640 4 बार मानीटरिंग • *लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण-आवश्यकता आधारित (2300) भूभौतिकीय सर्वेक्षण (क) सतह वी ई एस=2200 एंव लाइन किमी.=एन बी (ख) उपसतह बोर होल लोगिंग =आवश्यकता आधारित • *जल नमूनों का रसायनिक विश्लेषण -20000 नमूने • *जिला रिपोर्टें 23 भूजल वार्षिक पुस्तकें= 23 • *राज्य रिपोर्टें=5 • *राज्य एटलस-2 • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-18 • *जिला भूजल विवरणिका सभी जिले सी जी डब्ल्यू ए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का नियमन कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना-8	एक/दो वर्ष	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग किमी. • *भूजल अन्वेषण-800 कुएँ • *भूजल प्रेक्षण कुओं की मानीटरिंग-15640 4 बार मानीटरिंग • *लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण-आवश्यकता आधारित (2300) भूभौतिकीय सर्वेक्षण (क) सतह वी ई एस=2200 एंव लाइन किमी.=एन बी (ख) उपसतह बोर होल लोगिंग =आवश्यकता आधारित • *जल नमूनों का रसायनिक विश्लेषण -20000 नमूने • *जिला रिपोर्टें 23 भूजल वार्षिक पुस्तकें= 23 • *राज्य रिपोर्टें=5 • *राज्य एटलस-2 • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-18 • *जिला भूजल विवरणिका सभी जिले सी जी डब्ल्यू ए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का नियमन कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना-8	

4.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना	37.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी का कार्य जारी रहेगा ।	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है।	क) अरूणाचल प्रदेश में 10 एच ई परियोजनाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई। ख) आई एच आर परियोजनाओं के अन्वेषण संबंधी कार्य जारी हैं। ग) केन बेतवा संपर्क की डी पी आर 31.12.2008 तक पूरी कर ली गई है। घ) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों ने पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजाल संपर्कों की डी पी आर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर अपनी सहमति दी है और कार्य जनवरी, 2009 में शुरू कर दिया गया है एवं 31.12 .11 तक पूरा किये जाने की योजना है।	
5.	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं। ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, जल शक्ति विज्ञान, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एन आई एच, सी डब्ल्यू पी आर एस, और सी एस एम आर एस और सी डब्ल्यू सी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में	60.00	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी। अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एंव डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें और शोध पत्रों के रूप में होते हैं।मात्रात्मक सुपुर्दगियाँ हैं: क) अनुसंधान रिपोर्टें=300 ख) शोध पत्र= 160 ग) प्रशिक्षण कार्यशाला = 35	कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	(i) रिपोर्टों को तैयार करना -461 (ii) शोध पत्र-240 (iii) प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियाँ-40	

		जोखिम/ खतरे में कमी परियोजना के लिए मितव्ययी डिजाइन और नई /उन्नत तकनीकी का विकास जैसे परिणाम मिलेंगे।					
6.	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण , सिंचाई एवं अकस्मात विद्युत सृजन	1.00	निर्माण पूर्व क्रियाकलाप जारी रहेंगे	क्रियाकलाप ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किये जाने है।	परियोजना का मुख्य निर्माण क्रियाकलाप असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण पूरा नहीं किये जाने के कारण शुरू नहीं हुआ है एवं कार्य रूका हुआ है। केवल परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों के लिए आर एंव एम कार्य अपूर्ण स्टाफ द्वारा जारी रखे जा रहे हैं।	
7.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्व संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य	75.00	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबंद्व संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा पदमा नदी के साथ साथ भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 किमी0 प्रतिप्रवाह से 80 किमी0 अनुप्रवाह तक एफ बी पी के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र में कटाव नियंत्रण	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित क्रियाकलाप वर्ष भर जारी।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्व संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पदमा नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए। (ii) 4789 मी की लंबाई में 36 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किये गए।	
8.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकारण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की	1.00	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की जाएगी । इस		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आर बी ओ के गठन के प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	

		पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।		संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है	
9.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(i) सी डब्ल्यू सी में (ii) 4 बेसिनों और 6 क्षेत्रों के पी एम पी एटलसों को तैयार करना और इनका डिजिटाइजेशन	1.60	(i) मॉडल/फिक्सचरों की संस्थापना और संग्रहालय के लिए यंत्रीकरण (ii) एच एस ओ, सी डब्ल्यू सी में अवसंरचना में सुधार (iii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र वेसिन के लिए एटलसों को बनाना	मार्च ,2009	1. पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन (ई एस ए) अध्ययन पूरे कर लिये गए हैं। 2.मॉडल/ फिक्सचर की प्राप्ति प्रक्रिया के अधीन है।	
10.	बाढ़ प्रबंधन	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकास, विकास, बाढ़ परीक्षण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना	649.00	(i) गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य दल-2004 द्वारा सुझाए गए अनुसार कटाव-रोधी कार्य, जल निकास सुधार कार्य, आदि। (iii) समुद्रतटीय राज्यों में तट कटाव कार्य । (iv) चयनित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में गाद हटाना / तलकर्षण	राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नए प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाता है ।	(i) 10 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 1182 करोड़ रुपये की राशि के कुल 53 प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया था। (ii) 561 करोड़ रूपये की निधि (X वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 39 करोड़ रूपये सहित) राज्यों को जारी की गई थी।	
11.	अवसंरचना विकास	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय	38.00	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण (iii) फील्ड कार्यालयों में	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण	उपभोज्यों एवं परिधीय का प्रबंध, आई टी उपकरण की ए एम सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार, सर्वर का प्रबंध, आई टी	भूमि का अधिक्रहण और भवनों का निर्माण लंबे

		भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सी डब्ल्यू सी और सी जी डब्ल्यू बी में आई टी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।		डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आई टी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आई.टी. सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा।	शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	पहलुओं का प्रशिक्षण मंत्रालय (खास) और सी डब्ल्यू सी में पूरा कर लिया गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में सी डब्ल्यू सी के कार्यालय भवनों का कार्य पूरा कर लिया गया था और इन भवनों को अधिकृत कर लिया गया है। गुवाहाटी में बी बी एस एस आर, प्रभागीय कार्यशाला एवं स्टोर की चारदीवारी के निर्माण के लिए निधि जारी कर दी गई थी और अहमदाबाद में सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय एवं प्रभागीय कार्यालय के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है नवीनतम श्रव्य/दृश्य दूर संचार सुविधा संबंधित अवसंरचना आदि के साथ मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में संस्थापित की गई।	समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने का डर है।
12.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने और देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना। (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं	13.00	लोगों में जागरूकता फैलाना, जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए शिक्षा देना।	क्रियाकलाप जारी है।	निम्न जन जागरूकता क्रियाकलाप किए गए:- 1. दूर दर्शन के विभिन्न चैनलों और ए आई आर के विभिन्न स्टेशनों पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान 2. डब्ल्यू ए एच एम आई एस पर राष्ट्रीय संभाषण 3. आई आई टी एफ -2008 में भागीदारी, 4. भूमिजल संवर्धन पुरस्कारों का प्रचार, 5. 6 लाख मेघदूत पोस्टकार्डों	

		सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरूकता जगाना। (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाना। (iv)जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्वांतों को प्रात्साहित करना। (v)जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना। (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं प्रोत्साहन पद्वति के संबंध में जागरूकता फैलाना ।				को छपवाना 6. शिलॉंग में भारतीय विज्ञान सम्मेलन में भागीदारी, 7. गुवाहाटी में ए एल ओ एम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी; 8. किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में वृत्तचित्र बनाना; 9. विश्व जल दिवस-2009 का प्रचार; 10. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के संबंध में कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ प्रभाव आकलन अध्ययनों आदि का आयोजन ।	
13.	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	कमान/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का	160.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी, और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना, रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बैराज के बांए एफलक्स बंध में दरार को भरना। (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया।	(i)पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी। (ii)बाढ़ संबंधित आँकडे बंगलादेश को संप्रेषित। (iii) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी।	नेपाल में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य में देरी हुई।

		रखरखाव।		(v) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा/ सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य।		(iv) माजूली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी। (v) नेपाल में पूर्वी एफलक्स बांध में कोसी की दरार को भरने के लिए बिहार राज्य सरकार को 69.90 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। बिहार राज्य सरकार ने तीन कॉफर बांधों और जल को पश्चिमी तट की और मोडने के लिए एक डाइवर्जन चैनल का निर्माण किया और इसके बाद वर्ष 2008-09 के दौरान दरार क्षेत्र को 82.50 मीटर की ऊंचाई तक बंद कर दिया।	
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/प्रवेशन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	2.30	42 प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक वार्षिक प्रशिक्षण समय सूची तैयार की गई	27 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	भूजल संबंधी पहलुओं पर सी जी डब्ल्यू बी और अन्य केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण।	2.10	16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एक वर्ष	15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए और 308 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये।	भुजल अन्वेषण, विकास एवं प्रबंधन तकनीक और प्रशासनिक मामलों एवं प्रबंधन पक्षों में भी पेशेवरों और अर्द्धपेशेवरों की क्षमता निर्माण।
16.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सी डब्ल्यू	23.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान का मुद्दा लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई।	कुल 6675 पूर्वानुमान जारी किये गए, जिनमें से 6529 यथार्थता की स्वीकृत सीमाओं के अंदर थे।	शून्य

		सी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।		जारी किये जाते हैं।			
17.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी स्कीम	(i) जल निकायों की भण्डारण क्षमता का पुनरूद्धार ओर संवर्धन करना और (ii) उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना तथा उनमें विस्तार करना ।	250.00	तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की परियोजनाओं में क्रमश: 4 लाख हेक्टेयर, 2.5 लाख हेक्टेयर और 0.52 हेक्टेयर का कृष्य कमान क्षेत्र होगा।	राज्य सरकारें स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थीं।	तमिलनाडु सरकार ने 2000 स्कीमें शूरू की हैं और 181.8 करोड़ रूपये की राशि परियोजना केलिए जारी की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1000 स्कीमें शुरू की हैं और 41.9 करोड़ रूपये की राशि परियोजना के लिए जारी की गई है। कर्नाटक सरकार ने 300 स्कीमें शुरू की हैं और 9.3 करोड़ रूपये की राशि परियोजना के लिए जारी की गई है। उड़ीसा परियोजना मार्च, 2009 में प्रभावी हो गई ।	

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

राज्यों को कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में थीं, को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996-97 के दौरान शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और उड़ीसा के कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) उपलब्ध कराई गई है। अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की तरह अप्रेल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान घटक को लाया गया है। दिसंबर, 2006 से प्रभावी वर्तमान ए आई बी पी मानदंडों के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% तक अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों (उड़ीसा के कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों सहित) में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% तक अनुदान चयनित परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों में आने वाली गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को विशेष श्रेणी राज्यों की स्कीमों के समान माना जाता है और इन्हें परियोजना लागत का 90% तक अनुदान जारी किया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाऐं भी परियोजना लागत का 90% तक अनुदान पाने के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से 13.4.2009 तक राज्य सरकारों को 267 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 9874 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत सी एल ए/अनुदान के रूप में 36417.59 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक 100 वृहद/मध्यम और 5805 लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2008 तक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 4.932 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 0.271 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। 2009-10 के लिए केन्द्रीय बजट के अंतर्गत ए आई बी पी और जल से संबंधित अन्य स्कीमों के लिए 8700 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से ए आई बी पी के लिए 7000 करोड़ रूपये का आबंटन योजना आयोग द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने 2008-09 के दौरान प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत ए आई बी पी के लिए 2300 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आबंटन किया है। 2008-09 के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए जारी किया गया कुल अनुदान 7598.2213 करोड़ रूपये है। 2008-09 के लंबित प्रावधानों के लिए 13.04.09 को 1633.811 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई थी। 2008-09 के दौरान जारी किये गये अनुदान में राष्ट्रीय परियोजना के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना को जारी की गई 450 करोड़ रूपये की राशि भी शामिल हैं।

ए आई बी पी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शामिल परियोजनाओं और राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई

विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को ए आई बी पी के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के एक अनुपात एक के मानदंडों में छूट देते हुए ए आई बी पी में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरूआती तौर पर शामिल की गई 65 वृहद/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 38 परियोजनाएं ए आई बी पी के अंतर्गत वित्तपोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी किया गया अनुदान 4369.183 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2009-10 के लिए 10.50 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए ए आई बी पी की परिकल्पित अनुदान आवश्यकता 12285 करोड़ रूपये है। 2009-10 के लिए ए आई बी पी के लिए योजना आयोग द्वारा 7000 करोड़ रूपये का बजट आबंटन पहले ही कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्न चयन मानदंडों में आने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को परियोजना लागत के 90% की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देने पर अपनी सहमति दे दी है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग एक संधि के तहत होता है अथवा जहां परियोजना की आयोजना और इसे शीघ्र पूरा करना देश के हित में आवश्यक है।

(ii) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो कि नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित लागत में हिस्सेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि संबंधी अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान ना होने के कारण लंबी खिंच रही हैं।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंत:राज्यीय परियोजनाएं और जहां जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जलविज्ञान स्थापित है।

राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम का केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श से अंतिम रूप दी जाने वाली वित्तपोषण की पद्धतियों पर निर्भर करेगा। परिणामस्वरूप जल संसाधन मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण की रीतियों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम के अंतर्गत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत 450 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान जारी किया गया है।

अनुलग्नक -IV

जल संसाधन मंत्रालय के बजट की तुलना में ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

XI वीं योजना परिव्यय

(रूपये करोड़ में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XI वीं योजना	लेखों के शीर्ष	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.
	परिव्यय		2007-08	2007-08	2008-09	2008-09	2009-10
वृहद एवं मध्यम सिंचाई							
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	15.00	2701	2.00	1.86	2.30	2.64	2.60
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	260.00	2701	30.00	33.28	60.00	50.00	52.00
3. जल विज्ञान परियोजना	180.00	2701	33.00	6.98	44.00	25.51	38.10
4. जल संसाधन सूचना का विकास	200.00	2701	30.00	18.65	46.00	46.00	70.00
5. अवसंरचना विकास	**	2701	4.00	1.33	5.00	2.35	1.00
6. जल संसाधन विकास का अन्वेषण	260.00	2701	30.00	25.09	37.00	37.59	42.00
7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	90.00	2701	2.00	1.32	13.00	12.10	12.00
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	10.00	2701	1.00	0.48	1.60	0.58	1.00
9. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	50.00	2701	0.50	0.00	1.00	0.01	0.50
कुलः वृहद एवं मध्यम सिंचाई	1065.00		132.50	88.99	209.90	176.78	219.20
लघु सिंचाई							
सतही जल स्कीम							
10. भूजल प्रबंधन एवं नियमन	460.00	2702	62.00	48.11	95.00	65.26	70.00
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एवं आरआई	25.00	2702	1.50	0.60	2.10	0.81	2.00
12. अवसंरचना विकास	**	4702	4.55	1.27	7.00	4.60	6.00
कुल : लघु सिंचाई	485.00		68.05	49.98	104.10	70.67	78.00

13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	$$	2705	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00
कुल : सीएडी एवं डब्ल्यूएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र							
14. बाढ़ पूर्वानुमान	130.00	2711	16.00	13.91	23.00	19.72	25.00
15. अवसंरचना विकास	**	4711	3.45	1.54	26.00	14.12	8.00
16. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	601.00	2711	46.00	51.44	160.00	192.03	199.30
17. पगलादिया बांध परियोजना	500.00	2552	1.00	1.35	2.00	1.00	0.50
कुल: बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र	1231.00		**66.45**	**68.24**	**211.00**	**226.87**	**232.80**
परिवहन क्षेत्र							
18. फरक्का बैराज परियोजना	350.00	5075	33.00	30.99	75.00	75.68	70.00
** XI वीं योजना के लिए कुल आवंटन	115.00						
$$ इस स्कीम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है ।							
कुल जोड़	3246.00		600.00	516.04	600.00	550.00	600.00